चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-
1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।
महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ
1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1090 – वीमेन पावर लाइन
181 – वीमेन हेल्पलाइन
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन
101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।
इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 03.042.2026 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल द्वारा थाना राजापुर के समस्त विवेचकों का अर्दली रुम निम्न बिन्दुओं पर किया गया।
1.लंबित विवेचनाएं व अहकामात। 2.E–साक्ष्य ऐप से अधिकाधिक SID जेनरेट कर FIR से लिंक करना। 3.E–summon का समयबद्ध तामीला। 4.E–challan की समुचित कार्यवाही। 5.IGRS/प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। 6.प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही। 7.चोरी, नकबजनी, टप्पेबाजी की घटनाओं का सफल अनावरण व प्रभावी रोकथाम। 8.महिला/दलित उत्पीड़न संबंधी अपराधों में प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही। 9.CS/FR का माननीय न्यायालय में दाखिला के संबंध में। 10.फरियादियों के साथ मृदुल व्यवहार,उनकी समस्या को सुनने के लिए पर्याप्त समय देना तथा तदनुरूप आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाकर समस्या का समुचित निस्तारण करना आदि एवं उच्चाअधिकारियों के आदेश निर्देश से भी अवगत कराया गया।
अर्दली रुम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(3). आज दिनांक 03.04.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के मार्गदर्शन गुड फ्राइडे के अवसर पर थाना क्षेत्र मानिकपुर के विभिन्न स्थानों रेलवे स्टेशन,टैम्पो स्टैण्ड,बस स्टैण्ड,कस्बा मानिकपुर एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।